

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI
सन्दर्भ :- ग्रुपी/राष्ट्रीय/2021/3437

दिनांक:- 3 / 07 / 2021

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
जमुना देवी नरेश, चन्द्र महाविद्यालय,
उरई, जालौन।

विषय:- जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक रत्तर पर शिक्षा संकाय में वी0एल0एड0 पाठ्यक्रम में दिनांक 01 / 07 / 2021 से सम्बद्धता प्रदान करने के राष्ट्रीय में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्रावधानों के आलोक में तथा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र स0 सम्ब-0-1146 / सत्तार-2-2014-16(258) / 2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में वी0एल0एड0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने के लिये कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 29 जुलाई 2021 में निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संलग्न अभिलेख प्रस्तुत किये गये। निरीक्षण मण्डल की संस्तुति एवं महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध अभिलेखों तथा कार्यालयी ठीप का परीक्षण समिति द्वारा किया गया।

निरीक्षण मण्डल की आख्या, कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त रागद्वत्ता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी द्वारा जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक रत्तर पर शिक्षा संकाय में वी0एल0एड0 पाठ्यक्रम में 50 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ दिनांक 1 / 7 / 2021 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है :-

1. महाविद्यालय ने अनुमोदित शिक्षकों के बैतन आदि एवं महाविद्यालय की अन्य किसी वित्तीय दायित्व के लिये विश्वालय उत्तरदायी नहीं होगा।
2. महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कर्मियों को प्रत्येक दशा में एक माह के भीतर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को संसूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा फिर महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त पूरी कर रहा है।
3. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष अग्निशमन विभाग के नियमों के अनुसार अग्निशमन प्रमाण पत्र नवीनीकृत रूप से हुए प्रस्तुत करेगा।
4. महाविद्यालय गणकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराकर, अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आहरण, फोटोयुक्त (प्रबन्धक/सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र जिसमें अनुबन्ध की अवधि तथा ये बैतन का स्पष्ट उल्लेख हो, बैंक खाता संख्या का विवरण ऑनलाइन करते हुए एक माह में अन्तर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

सन्दर्भ :- नू००१० / राय० / २०२१ / ३५३७

दिनांक:- ३१ / ०७ / २०२१

5. महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्णयानुसार सभी कक्षों में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष से इंटरनेट के माध्यम से जोड़ कर तदनुसार सिस्टम एनालिस्ट द्वारा प्रदत्त प्राप्ति पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त करायेगा।
6. उक्त महाविद्यालय शासनादेश स० २८५१ / सत्तर-२-२००३-१६(९२) / २००२, दिनांक ०२ जुलाई, २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। मानवीय सच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका स० ६१८५९ / २०१२ में पारित आदेश दिनांक २०.१२.२०१२ ले अनुगामन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स०-५२२ / सत्तर-२-२०१३-२(६५०) / २०१२ दिनांक ३० अप्रैल, २०१३ का भलीभांति अनुपालन तथा अनुगोदित शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।
7. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यहि किशी रत्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित थी अथवा ऐसा कोई तथ्य लिपारा गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरत करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।
8. समरत महाविद्यालयों को १०० रूपयों के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों, व्याख्यान कक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर रत्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि रनातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक-पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुरक्षित है।
9. यदि गढ़विद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ एवं विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्रात्मानों/उपबन्धों तथा समय-समय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों परी पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता दावा लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(नारायण प्रसाद)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- नियमिति को सूचनार्थ एवं आशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर गुरु०। राधिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, प्रयागराज।
3. श्रीत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
4. परीक्षा नियंत्रक, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
5. रायगढ़ अन्तर्गत अधिकारी, जालौन।
6. श्री रमेश रामराम्या, आशुलिपिक, सम्बद्धता विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र शासन के द्वारा ई-मेल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. नियमिति नींव निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
8. नियमिति नींव आशुलिपिक।

कुलसचिव



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

प्र० ११ - गुरु | क०८५ | २०१९ | ३६२

झाँसी (उ.प्र.) 284128
दिनांक ५/६/१९

**प्रामाण्यक / सचिव
जनुना देवी मरेश धन्न गहारिद्यालय,
उरई, जालौन।**

विषय— जापुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन के रत्नविता पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक वर्षर पर विज्ञान कार्यक्रम से टिकांक ०१.०७.२०१९ से सम्बन्धित प्रदान करने के सम्बन्ध में।

प्राचीन

- महाविद्यालय विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता का शब्द पूरा कर रहा है।
 - महाविद्यालय विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष अग्रिमान विभाग के नियमों के अनुसार अग्रिमान प्रमाण पत्र नीतीकृत कराते हुए प्रस्तुत करेगा।
 - महाविद्यालय एन०सी०टी०१०५/विश्वविद्यालय के गानकानुसार अनुग्रहित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र कार्यभार डाहण आद्या, फोटोयुक्त (प्रवर्णक/सचिव तथा संस्थानित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र जिसमें अनुबन्ध की अवधि तथा देव चेतन का स्पष्ट उल्लेख हो, वैक आता संख्या का विवरण ऑनलाइन करते हुए एक गाह के अन्दर विश्वविद्यालय भौं उपलब्ध कराया सुनिश्चित करेगा।
 - महाविद्यालय कार्यपालिका के निर्णयानुसार रारी कक्षों में सी०सी०टी०१०१०५ के नंबर संग्राहक उन्हें विश्वविद्यालय के विषयन्त्रण कक्ष से हटायेंगे।
 - उत्तर महाविद्यालय शासनादेश स० २४५१/सतार-२-२००३-१८(९२)/२००२ दिनांक ०२ जुलाई, २००३ में उल्लिखित विश्व-निर्देशों एवं इस विषय में रागय-समय पर निर्णय शासनादेशों का पालन करेगा। मानवीय उच्च व्यायालय में योजित रिट प्राधिका स० ११६५९/२०१२ में पारित आदेश दिनांक २०.१२.२०१२ के अनुपालग हेतु शासनादेश र००-६२२/सतार-२-२०१३-२(६५०)/२०१२ दिनांक ३० अप्रैल, २०१३ का अनुग्रहन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय शासनादेश र००-६२२/सतार-२-२०१३-२(६५०)/२०१२ दिनांक ३० अप्रैल, २०१३ का अनुग्रहन/अनुपालग तथा अनुग्रहित शिक्षकों के चेतन का अनुपालग वैक को माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।

Scanned with CamScanner

बुद्धेलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु०वि०/सम्ब०/2017

दिनांक - 30/5/17

सेवा में।

प्रबन्धक / सचिव

जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय,
उरई, जालौन।

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी०एल०एड० विषय/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2017 से सशर्त सम्बद्धता की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुके अधीन राज्य सरकार ने सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपरबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्रावधानों के आलोक में तथा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के पत्र स० सम्ब०-1146 / सत्तर-2-2014-16(258) / 2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार तथा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014, (उ०प्र० अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) में दी गयी व्यवस्था के आधार पर जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी०एल०एड० विषय/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति प्रदान करने के लिये दिनांक 29.05.2017 को कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक में निरीक्षण मण्डल की आव्याएवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा निम्नलिखित कमियां इंगित की गई हैं:-

- अनुमोदित शिक्षकों की कार्यभार ग्रहण शाखा एवं बैंक खाता विवरण संलग्न नहीं है।

सम्बद्धता समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी ने स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी०एल०एड० पाठ्यक्रम/विषय में दिनांक 01.07.2017 से आगामी चार वर्ष के लिए सशर्त सम्बद्धता की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

- महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों को प्रत्येक दशा में एक माह के भीतर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को संसूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त पूरी कर रहा है।
- महाविद्यालय विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष अग्निशमन विभाग के नियमों के अनुसार अग्निशमन प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराते हुए प्रस्तुत करेगा।
- महाविद्यालय एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आव्याएवं फोटोयुक्त (प्रबन्धक/सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र जिसमें अनुबन्ध की अवधि तथा देय वेतन का स्पष्ट उल्लेख हो, बैंक खाता संख्या का विवरण ऑनलाइन करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- महाविद्यालय कार्यपरिषद के स्थिरानुसार जापी कक्षों में सी०सी०टी०ई० के मरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष से इंटरनेट के माध्यम से जोड़ कर तदनुसार सिस्टम एनालिस्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त करायेगा।
- उक्त महाविद्यालय शासनादेश स० 2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका स० 61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स०-522 / सत्तर-2-2013-2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भलीभांति अनुपालन तथा अनुमोदित शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।

6. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित थी अथवा ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।
7. समस्त महाविद्यालयों को 100 रुपये के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों, व्याख्यान कक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक-पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित है।
8. यदि महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा संग्रह-रामय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शतां एवं मानकों की पूर्णता तथा उनको निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(व्यास नारायण सिंह)

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
4. परीक्षा नियंत्रक, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
5. समाज कल्याण अधिकारी, जालौन रथान उरई।
6. डा० दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र महाविद्यालय के कॉलेज लॉगइन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
8. कुलसचिव के आशुलिपिक।

कुलसचिव